दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथि: 02.06.2023</u>

<u>रि.या.(सि) 7394/2023</u>

संजीव सिक्का .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सत्येन सेठी सह श्री अर्तत्राना पांडा, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र दिल्ली और अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री रुचिर भाटिया, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शेखर
माननीय न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

[भैतिक सुनवाई/हाइब्रिड हियरिंग (अनुरोध के अनुसार)]

<u>गिरीश कठपालिया, न्या. (मौखिक):</u>

<u>रि.या.(सि) 7394/2023 और सि.वि.अवि. 28766/2023(रोक)</u>

1. सुना। नोटिस विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता। श्री रुचि भाटिया, प्रत्यर्थी/राजस्व की ओर से अधिसूचना स्वीकार करते हैं और प्रस्तुत करती हैं कि हम जिस आदेश को पारित करना चाहते हैं, उसके मद्देनजर प्रति-शपथपत्र दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की सहमति से, मामले को इसी चरण में अंतिम सुनवाई और निपटान के लिए लिया जाता है।

2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का आह्वान करते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 [144ख सहपठित] के तहत 17-05-2023 को पारित आदेश, अधिनियम की धारा 148 के तहत 25-07-2022 को जारी नोटिस और अधिनियम की धारा 148अ (डी) के तहत 25-07-2022 को पारित आदेशों को चुनौती दी है, जो सभी आकलन वर्ष 2014-15 से संबधित है | याचिकाकर्ता ने उपरोक्त विवादित नोटिस और आदेशों को कई आधारों पर चुनौती दी है, जिनमें से केवल एक ही आधार लिया गया है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर वर्तमान रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में पारित किया गया था, इसलिए विवादित नोटिस और आदेश कानून की नजर में दीर्घकालिक नहीं हैं।याचिकाकर्ता की ओर से यह विस्तार से बताया गया है कि दिनांक 28.04.2023 की अधिसूचना के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को 05.05.2023 को जवाब प्रस्तुत करना था और याचिकाकर्ता ने 05-05-023 को ही "ई-पोर्टल पर स्थगन अनुरोध विंडो" पर 15

दिनों के लिए स्थगन की माँग की थी। कि दिनांकित 05.05.2023 के स्थगन अनुरोध की अनदेखी करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मूल्यांकन पूरा किया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता को 28-04-2023 के हेंतुक दिखाएँ नोटिस के माध्यम से, वीडियो का फ्रेसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई थी, लेकिन यचिकाकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया।

4. प्रत्यर्थीयों/राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता, पूरी निष्पक्षता से स्वीकार करते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के उपरोक्त उल्लंघन ने विवादित आदेशों को निष्प्रभावी कर दिया है।

5. इन परिस्थितियों में, विवादित नोटिस और आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को भेज दिया जाता है।

6. तदनुसार, रिट याचिका और आवेदन का निपटान किया जाता है।

गिरीश कठपालिया, न्या.

राजीव शेखर, न्या.

जून 2, 2023/के रूप में

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*